न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – श्री मुकेश कुमार चौधरी (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 132/2015

उनवान

नैना बनाम गंगा वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

–: आदेश :– दिनांक :– 1.11.18

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसमें वादग्रस्त आराजी को अविभाजित दर्शाया है। परन्तु वादी के द्वारा उक्त वाद में सभी सहखातेदारान् को पक्षकार नही बनाया है। अतः वाद राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत काबिल खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि किस व्यक्ति को उक्त प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। राजस्व अभिलेख में अंकित समस्त खातेदारों को वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सहखातेदार का नाम नही लिखा है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। पक्षकारों के संयोजन व असंयोजन में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान प्रभावी नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ने कथन किया कि विभाजन के वाद में प्रत्ये सहखतेदार आवश्यक पक्षकार है। प्रस्तुत वाद में ग्राम देवलिया की डांग के खाता संख्या 67/61 किता 3 रकबा 0.95 में दर्ज सह खातेदार बाबू पुत्र दिलवार को प्रतिवादी संख्या 12 बनाया गया है किन्तु बाबू पुत्र दिलवार की दिनांक 31.3.99 को ही मुत्यु हो गयी थी। वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश किया है। जवाब प्रार्थना पत्र में भी वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद लाने के बारे में स्पष्ट नही किया है। विध्सिाक प्रावधान अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद लाने के कारण दावा खारिज योग्य है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा नजीर आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 218–22 पेश की।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि राजस्व अभिलेख में दर्ज समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है कि किस व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया है। बाबू पुत्र दिलवार के वारिस सी0पी0सी0 के प्राधान अनुसार रेकार्ड पर लिये जा सकते है। आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। वादी ने उक्त वाद ग्राम देवला की डांग के खाता संख्या 24/22 व 31 किता 10 रकबा 1.38, 67/61 किता 3 रकबा 0.95 व ग्राम डूंगाजी का बाडिया के खाता संख्या 17/15 किता 7 रकबा 2.85 की आराजी पर विभाजन बाबत दिनांक 4.11.15 को पेश किया है। एवं जमाबंदी सम्वत् 2069–72 की पेश की है। वादी द्वारा उक्त वाद में ग्राम देवला की डांग के खाता संख्या 67/61 किता 3 रकबा 0.95 के अन्य सहखातेदार के साथ प्रतिवादी संख्या 12 बाबू पुत्र दिलावर को भी पक्षकार मुर्तिब किया है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जो उक्त खाते की जो जमाबंदी सम्वत् 2073–76 की पेश की गयी है उसके अनुसार बाबू पुत्र दिलवार का नाम नही होकर उसके वारिस उक्त खाते में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि बाबू पुत्र दिलवार के वारिस उक्त विभाजन के वाद में पक्षकार नही है। साथ ही अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा बाबू पुत्र दिलवार का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसके अनुसार बाबू पुत्र दिलवार की मृत्यु दिनांक 31.3.1999 को हो चुकी है। उक्त तथ्यो व दस्तावेज से स्पष्ट है कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही बाबू पुत्र दिलवार की मृत्यु हो गयी थी एवं वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व उक्त वाद पेश किया गया है।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वादी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त बाबू पुत्र दिलावर के वारिस सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार रेकार्ड पर लिये जा सकते है। किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत नही है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों द्वारा सर्वविदित है कि "The provision of order 22 rule 4 c p c is applicable to those cases where the defendant died during the pendency of the proceding " आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान वाद विचाराधीन रहते किसी प्रतिवादी की मृत्यु होने पर ही लागू होते है प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु वाद विचाराधीन रहते नही हुयी है वरन् प्रतिवादी संख्या 12 वाद पेश करने से पूर्व ही मृत था। वादी व प्रतिवादी संख्या 12 एक ही परिवार व एक ही गॉव के है इसके उपरान्त भी उसे प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु की जानकारी नही होना विश्वसनीय नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद चलने योग्य नही है। साथ ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाना विधि द्वारा भी वर्जित है।

वादी का कथन है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है किन्तु वादी का यह दायित्व है कि वाद प्रस्तुत करत समय यह सुनिश्चित करले की दर्ज खातेदारों में से किसी की मृत्यु तो नही हुयी है व ऐसी स्थिति में उसके वारिसों के विरूद्ध ही वाद पेश किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद में वादी ने अपने दायित्व का सही रूप से निर्वहन नही किया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है कि किस व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2073–76 से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में बाबू पुत्र दिलवार के वारिसो को पक्षकार नही बनाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में बाबू पुत्र दिलवार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही उसकी पत्नी द्वारा नोटिस लेने के कारण हुयी है। वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाने के कारण ऐसे आदेश जारी होना न्यायोचित नही है। वादी ने अपने जवाब में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नही किया है कि किन कारणवश उसके द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पेश किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाने के कारण वाद उक्त आराजी पर अबैट हो चुका है। धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कोई व्यक्ति अपनी समस्त अधिकार की भूमियों पर एक साथ ही वाद लायेगा अतः अन्य भूमि पर भी वाद चलने योग्य नही है।

वादी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद लाने के उपरान्त भी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नही होते है किन्तु प्रस्तुत वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया गया है उसके वारिस रेकार्ड पर नही है जबकी विभाजन के वाद में समस्त सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है। अपूर्ण पक्षकार के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक प्रावधान अनुसार चलने योग्य नही है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.बी.जे. (5) 1998 पेज 218–22 When the land is in joint khatedari – all the co-tenant are necessary party प्रकरण में पूर्ण रूप ये चस्पा होती है। विचाराधीन वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर (शेष प्रतिवादीगण की तलबी) ही है।

अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि उक्त वाद मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश करने कारण खारिज किया जाता है। वादी समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुये नवीन वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner